न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 आरटीए
प्रकरण संख्या– 13 /2019

1. अम्बाराम पुत्र धर्मा उर्फ देवराज जाति मेघवाल निवासी उग्रसर हाल सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

– प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र धर्मा उर्फ देवराज जाति मेघवाल निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) ★ टिब्बी ★

–अप्रार्थी

उपस्थित–श्री महेशकुमार अधिवक्ता प्रार्थी
श्री परमजीतसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 23.03.2021

प्रार्थी अम्बाराम ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक न. 12 CDR जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 15/11 में कुल 0.354 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला भूमि व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इसी चक के खाता संख्या 6/11 में कुल 0.354 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपने सुविधा के अनुसार अर्सा कदमी पूर्व रजामन्दी के आधार पर निम्नानुसार भूमि रास्ता के रूप में काम मे ले रहे है एवं इसी अनुसार वर्तमान में आवागमन कर रहे है। (1) प्रार्थी संख्या 1 चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 12/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता। (2) अप्रार्थी चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 19/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता। जो मौका पर चालू है का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं कर रहे है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह रास्ता अभी तक स्वीकृत नही है जिससे प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 12/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता। (2) अप्रार्थी चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 19/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एंतराज नहीं है, राजीनामा पेश होने पर बाद तस्दीक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

शामिल मिसल किया गया। पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रति जो शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने क्रमांक –राजस्व/21/223 दिनांक 05.02.2021 को मौका व जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होने ने अपनी जांच रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में पेश की भू.अ. निरीक्षक सूरेवाला की रिपॉर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित है, पक्षकारो की आपस में सहमति है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दूओ का विवेचन किया गया–

1 रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघूतम रूट से हो।

बहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण मे राजीनामा हो गया है अप्रार्थी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपॉर्ट व राजीनामा के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी संख्या की कृषि भूमि में चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 12/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता। (2) अप्रार्थी चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 19/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा X 8 फुट चौड़ा) उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ टिब्बी ★

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

क्रमांक–राजस्व/ 327

दिनांक– 24/03/2024

प्रेषितः– तहसीलदार राजस्व

टिब्बी।

विषय– प्रकरण अम्बाराम बनाम् अशोककुमार आदि में निर्णय की पालना करने बाबत्।

1. अम्बाराम पुत्र धर्मा उर्फ देवराज जाति मेघवाल निवासी उग्रसर हाल सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

– प्रार्थी

बनाम

2. अशोक कुमार पुत्र धर्मा उर्फ देवराज जाति मेघवाल निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान के प्रकरण के इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी की चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 12/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा x 8 फुट चौड़ा) दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। अप्रार्थी संख्या 1 चक 12 CDR प0न0 219/264 मु0न0 33 कि0न0 19/1 में से 0.0113 है0 (149 फुट लम्बा x 8 फुट चौड़ा) उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर गैर मुमकिन रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर पालना सूनिश्चित की जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी